सार-समाचार

शैलेंद्र दशोरा ने राजस्थान के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का पदभार संभाला

उदयपुर, (कासं)। भारतीय डाक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शैलेंद्र दशोरा ने सोमवार को राजस्थान डाक परिमंडल के मुख्य पोस्ट मास्टर का पदभार संभाला। उदयपुर जिले के मूल निवासी दशोरा जम्मू एवं कश्मीर के मुख्य पोस्ट मास्टर के पद से स्थानांतरित होकर राजस्थान आए हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य डाक विभाग की समस्त सेवाएं पीओएसबी, डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, आईपीपीबी, स्पीड पोस्ट आदि में विभाग द्वारा आवंटित लक्ष्य को शत प्रतिशत अर्जित करना है एवं डाक विभाग व जनता के मध्य विश्वास कायम रखना है। उल्लेखनीय है कि दशोरा जोधपुर व अजमेर में डाक सेवा निदेशक के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं इसके अलावा वे वर्ष 2009 से 2014 तक पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर निदेशक का पदभार संभाल चुके है।

पुलिस कांस्टेबलों के साथ हुई ठगी

उदयपुर, (कासं)। दो पुलिस कांस्टेबलों से निवेश में अच्छा लाभ मिलने का झांसा नकदी हड़पने वाले एप के संचालक के खिलाफ हिरणमगरी थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित पुलिस लाईन में तैनात कांस्टेबल सूरजगढ़ झुंझनू नेतरामपुरा निवासी अनिल कुमार पुत्र हवासिंह जाट व हिरणमगरी पुलिस थाने में तैनात वाहन चालक कांस्टेबल नेमीचंद ढाका ने हिरणमगरी पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। अनिल कुमान ने बताया कि ऑनलाईन निवेश के लिए सर्च करने पर अच्छा लाभ देने वाले एप ओआरआईसीएच नामक एप 12 दिसंबर को डाउन लोड कर मैने 99 हजार रूपये तथा साथी नेमीचंद ने 1 लाख रूपये का निवेश किया। कुछ समय बाद 23 जनवरी 2022 को मैंने दुबारा लोगिन किया तो एप बंद होना पाया गया। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

पत्नी की हत्या करने वाला पति गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। आपसी विवाद में आवेश में आए पति ने लठ्ठ सेहमला कर पत्नी की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार झाड़ोल थाना क्षैत्र बदराणा फला लूरों की ढाणी निवासी मुकेश पुत्र उदयलाल लूर ने 22 जनवरी रात में आपसी विवाद में लठ्ठ से हमला कर अपनी पत्नी पिन्टू देवी की हत्या कर दी। इस मामले में मृतका के पिता अमरेड़ा निवासीदेवीलपल पुत्र हकरा पारगी ने आरोपी मुकेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया। सूचना मिलने पर झाड़ोल थानाधिकारी मोतीराम मय टीम ने मौके पर पहुंच कर मृतका को झाड़ोल चिकित्सालय मोर्चरी में रखवा पिहर पक्ष को बुलवा कर उनकी मौजूदगी में मृतका का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया।प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि तीन चार दिन पूर्व पिन्टू देवी बिना बताए घर से चली गई थी। इसका पता चलने पर मुकेश उसकी तलाश कर रहा था। इधर 22 जनवरी को घर लौट आई पिन्टू देवी सांय खाना बना रही थी। इसी दौरान उसके तलाश कर मुकेश घर लौट कर उसे देख कर आवेश में आकर लठ्ठ से हमला कर दिया। जिससे उसकीमौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर झाड़ोल थानाधिकारी मोतीराम ने मौके पर पहुंच कर एफएसएल टीम को बुलवा कर आवश्यक साक्ष्या जुटाए। इधर सूचना मिलने पर झाड़ोल पुलिस उप अधीक्षक ने मौके पर पहुंच कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से मृतका का पोस्टमाट्रम करवा शव पकिरजनों को सौप दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर लिया है। जिससे पूछताछ की जा रही है।

नवप्रसूता की मौत, चिकित्सक व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज

उदयपुर, (कासं)। जिले के बावलवाड़ा थाना क्षैत्र में नवप्रसूता द्वारा बच्ची को जन्म देने के बाद उसकी मौत होने पर उसके पिता ने क्लिनीक के चिकित्सक व अन्य के खिलाफ लापरवाही बरतने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बावलवाड़ा थाना क्षैत्र भाणदा गांव में स्थित संजीवनी क्लिनीक पर22 जनवरी को पांचा पाड़ला बालवाड़ा निवासी मंजूदेवी(30)पत्नी प्रभूलाल को परिजनों ने भर्ती करवाया था। जहां उसने बच्ची को जन्म दिया था। जिसकी अचानक तबीयत खराब होने पर परिजन उसे उपचार के लिए उदयपुर लेकर रवाना हुए जहां बीच रास्ते उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर थानाधिकारी सकाराम ने मौके पर पहुंच कर मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों कोस सौंपदिया। इस मामले में मृतका के पिता प्रभूलाल पुत्र कानजी देवनकाड़ ने चिकित्सक सुरेन्द्र सैनी व साथी प्रवीण के खिलाफ उपचार मे लापरवाही बरतने से मंजूदेवी की मृत्यु के लिए जिम्मेदार मानते हुए प्रकरण दर्ज करवाया है। डॉक्टर सुरेन्द्र सेनी छाली चिकित्सालय में एमओं पद पर तैनात है तथा भाणदा में संजीवनी नाम से क्लिनीक भी चलाते है। प्रकरण की जांच थानाधिकारी सकाराम कर रहे है।

रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ मामला दर्ज

उदयपुर, (कासं)। शहर के अम्बामाता थाना पुलिस ने कोविड गाईडलाईनका उल्लंघनकर रेस्टोरेंट चलाने वाले के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। अम्बामाता थाना एसआई रामनारायण ने23 जनवरी रात में गश्त के दौरान मल्लातलाईहरिदासजीकी मगरी में सचाललि रेस्टोरेंट पर पहुंचे। जहां कोविड गाईड लाईन का उल्लंघन पाए जाने पर संचालक हरिदासजी की मगरी निवासी हितेश पुत्र हिम्मत छाजेड़ के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया।

युवक ने की आत्महत्या

उदयपुर, (कासं)। शहर के अम्बामाता थानाक्षैत्र में युवक ने अपने मकान में फांसी लगा आत्महत्या कर ली। अन्यत्र अम्बामाता थाना क्षैत्र व सविना थाना क्षैत्र में हुए सड़क हादसे में घायल दो युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसारअम्बामाता थाना क्षैत्र होली चौक बड़गांव निवासी महावीर मेहता (23) पुत्र राजेन्द्र मेहता ने रविवार को अपने मकान मेंप फांसी लगा ली। इसकी सूचना मिलने पर हेडकांस्टेबल ओमप्रकाश ने मौके पर पहुंच कर मृतक को निचे उतार पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल पाया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जारंच शुरू की। इसी तरह गत दिनों अम्बामाता थाना क्षैत्र बड़ी रोड़ पर हुए सड़क हादसे में घायल भेरूजी की कॉलोनी खेमपुरा प्रतापनगर निवासी जितेन्द्रसिंह (28)पुत्र तेजसिंह की एमबी चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलने पर हेडकांस्टेबल ओमप्रकाश ने मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। इसी तरह गत दिनों सविना थाना क्षैत्र में हुए सड़क हादसे में घायल धोल की पाटी निवासी मोहन (45) पुत्र कुका गमेती की एमबी चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलने पर हेडकांस्टेबली विनेश ने मौके पर पहुंच कर मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया।

युवक ने लगाई फांसी

उदयपुर, (कासं)। मानसिक तनाव के चलते युवक ने फांसी लगा आत्म हत्या कर ली। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुखेर थाना क्षेत्र पण्डेरी फला पीपली ए परसाद हॉल दक्ष एकेडमी के पास सुखेर निवासी संजय कुमार (21) पुत्र देवीलाल मीणा ने अपने मकान में फांसी लगा ली। संजय किसी लड़की से प्रेम करता था। जिसका किसी अन्य के साथ विवाह होने के बाद से वह तनाव में थी। इसी के चलते फांसी लगा आत्महत्या करने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने मृतक के पिता देवीलाल की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

हमारी ताकत और गुरूर है हमारी बेटियां : कर्नल प्रो. सारंगदेवोत

उदयपुर, (कासं)। जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टूबी विवि के संघटक लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महावद्यिालय की ओर से सोमवार को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली बालिकाओं का कुलपति प्रो. एस.एस. सारंगदेवोत, कुल प्रमुख भंवर लाल गुर्जर, प्राचार्य प्रो. सरोज गर्ग ने उपरणा ओढा कर सम्मान किया गया।

- **राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली बालिकाओं उपरणा ओढा कर सम्मान किया गया**

प्रो. सारंगदेवोत ने कहा कि जहॉ तक बालिकाओं की सुरक्षा, एज्यूकेशन की, या उनकी आजादी की बात हो, यह न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में सोचने की बात है। जहॉ तक हम एज्यूकेशन के आकडे देखते तो बहुत खुश होते है लेकिन हमारी मानसिकता में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है, बालिकाओं के साथ रोक टोक की जाती है , उनके आगे बढने के अवसरों को रोका जाता है, इस मानसिकता को बदलना होगा, जब तक एक सोच के साथ आगे नहीं बढेगे तब तक बालिकाओं का आगे बढने का सपना अधूरा ही रहेगा। हम लोगों को एक ऐसी दुनिया के निर्माण की कोशिश करनी चाहिए जहॉ हमारी बेटिया, हमारे बेटों की तरह ही अपने सपनों को पूरा कर सके।

आज हमारी बेटिया अपनी काबिलियत की बदौलत पुरूषों से कही आगे निकल गई, यहॉ तक की सेना में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली है, बेटिया आज के दौर में परिवारजनों का गुरूर है, उनकी ताकत बन चुकी है। आज पूरा परिवार एक बेटी पर विश्वास करता है। उन्होने कहा कि आज के दौर में कुछ हद तक आम व्यक्ति की मानसिकता में बदलाव आया है और बेटियों के घर में जन्म लेने पर खुशिया मनाई जाती है।

आज हमारी बेटियों ने घर की दहलीज लांघकर कर क्षेत्र में नये नये कीर्तिमान स्थापित रही है और देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर रही है। उन्होने कहा कि यदि एक महिला शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, आवश्यकता है लडके व लडकियों में भेदभाव को मिटाने की और दोनो को समान का अधिकार देने की। इस अवसर पर सुभाष बोहरा, डॉ. हरीश शर्मा, डॉ. प्रकाश शर्मा, डॉ. प्रेमलता गांधी, डॉ. रचना राठौड, डॉ. बलिदान जैन, डॉ. सुनिता मुर्डिया, डॉ. संतोष लाम्बा, डॉ. अनिता कोठारी, डॉ. हिम्मत सिंह, डॉ. रोहित कुमावत, डॉ. ओम पारीक सहित संकाय सदस्य उपस्थित थे।

उदयपुर में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली बालिकाओं के साथ कुलपति प्रो. एस.एस. सारंगदेवोत।

मास्टरमाईंड गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। महिला का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात करने के मामले में फरार मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रकरण के अनुसार20 जनवरी 2022 को पीड़िता ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि दोपहर में ससुराल से पीहर जा रही थी। बीच रास्ते मिले ओबरा निवासी मोहन पुत्र धनराज पारगी, भेरूलाल पुत्र हकरा पारगी व साथी बाइक पर बिठा कर एकांत में ले गए। जहां मोहन व भेरूलाल को छोड़ कर साथी फरार हो गया। जहां मोहन ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र कमांक F1/DEIAA/Mines/2016/1773 Dated: 16.12.2016 के द्वारा मैसर्स सनशाईन स्टोन,ताणवाण एम. एल. नं. 162/1993, क्षेत्रफल 0.7614 हेक्टर वास्ते खनिज मार्बल, निकट ग्राम बाण्डा तहसील-आमेट, जिला राजसंमद Production Capacity- 60111 TPA के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है, स्वीकृति पत्र की प्रति DEIAA राजसमंद एवं राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के कार्यालय में जन साधारण के लिए उपलब्ध है एवं मण्डल की वेबसाइट www.rpcb.nic.in पर देखी जा सकती है।

मै. सनशाईन स्टोन

कार्यालय ग्राम पंचायत बडी, पंचायत समिति बड़गांव, जिला- उदयपुर

क्रमांक:ग्रा.प.ब./2021-22/120 दिनांक:-24.01.2022

खुली बोली सूचना वर्ष 2021-22

ग्राम पंचायत बड़ी में वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु राजस्थान सरकार के अधिकृत संगठनों, इत्यादि में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से खुली बोली आमंत्रित की जाती है। निविदा खोलने की दिनांक 03.02.2022 होगी जिसकी विस्तृत जानकारी SPPP.rajasthan.gov.in पर देखी एवं कार्यालय ग्राम पंचायत बड़ी से प्राप्त की जा सकती है।

UBN No. ZUD2122WSOB00208-11

सरपंच- ग्राम पंचायत बड़ी

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can bank upon !

विधि/वसूली विभाग, मंडल कार्यालय, उदयपुर
एलआईसी भवन, तीसरा तल, सबसिटी सेन्टर, रेती स्टेण्ड के पास, उदयपुर
फोन नंबर: 0294-2688008/09/22/26, ई-मेल: cs8328@pnb.co.in

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि

अधोहस्ताक्षरकर्ता **देवेन्द्र सिंह चुण्डावत ने पंजाब नैशनल बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 सपठित, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ऋणी **मैसर्स याकूब अली मंसूरी, प्रोपराईटर श्री याकूब अली मंसूरी पुत्र श्री रहीम बक्श जी मंसूरी पर मांग सूचना दिनांक 29.10.2021** पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **दिनांक 30.09.2021 को बकाया राशि रू. 11,74,996.00 (रूपये ग्यारह लाख चौहतर हजार नौ सौ छियान वे मात्र) प्लस दिनांक 01.10.2021 से ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।

ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 19, माह जनवरी, वर्ष 2022** को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।

कर्जदारों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार **दिनांक 31.12.2021 को बकाया राशि रू. 12,01,902.00 (रूपये बारह लाख एक हजार नौ सौ दो मात्र) प्लस दिनांक 01.01.2022 से ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए **पंजाब नैशनल बैंक, शाखा कार्यालय - कपासन, जिला- चित्तौड़गढ़, राजस्थान** के प्रभार के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्री याकूब अली मंसूरी पुत्र श्री रहीम बक्श जी मंसूरीके नाम साम्यिक बंधक आवासीय मकान जो वार्ड नं. 17, भैरू जी का चौक, कपासन, तहसील-कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 735.20 वर्गफीट है। **सीमाएं**- उत्तर: श्री छोगा लाल जी की कृशि भूमि, दक्षिण: श्री पीर मोहम्मद जी का मकान, पूर्व: श्री गणेश जी का मकान, पश्चिम: रोड़

हस्ता.
स्थान: चित्तौड़गढ़ (देवेन्द्र सिंह चुण्डावत)
दिनांक: 19.01.2022 प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नैशनल बैंक

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can bank upon !

विधि/वसूली विभाग, मंडल कार्यालय, उदयपुर
एलआईसी भवन, तीसरा तल, सबसिटी सेन्टर, रेती स्टेण्ड के पास, उदयपुर
फोन नंबर: 0294-2688008/09/22/26, ई-मेल: cs8328@pnb.co.in

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि

अधोहस्ताक्षरकर्ता **देवेन्द्र सिंह चुण्डावत ने पंजाब नैशनल बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 सपठित, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ऋणी **श्री शंभू सिंह पुत्र श्री फतेह सिंह सोलंकी** एवं जमानतदार **श्री अमर सिंह पुत्र श्री राम सिंह पर मांग सूचना दिनांक 29.10.2021** पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **दिनांक 30.09.2021 को बकाया राशि रू. 1,98,118.25 (रूपये एक लाख अठानवे हजार एक सौ अठारह एवं पैसे पच्चीस मात्र) प्लस दिनांक 01.10.2021 से ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।

ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 19, माह जनवरी, वर्ष 2022** को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।

कर्जदारों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार **दिनांक 30.11.2021 को बकाया राशि रू. 2,01,944.25 (रूपये दो लाख एक हजार नौ सौ चवालीस एवं पैसे पच्चीस मात्र) प्लस दिनांक 01.12.2021 से ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए **पंजाब नैशनल बैंक, शाखा कार्यालय-भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़, राजस्थान** के प्रभार के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्री शंभू सिंह पुत्र श्री फतेह सिंह सोलंकी के नाम साम्यिक बंधक आवासीय मकान भवन जो गांव हडमालिया, तहसील-कपासन, जिला- चित्तौड़गढ़, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 2100 वर्ग फीट है। **सीमाएं**- उत्तर: आँकार सिंह, दक्षिण: आम रास्ता, पूर्व: गुलाब सिंह की सम्पत्ति, पश्चिम: सोहन सिंह की सम्पत्ति

हस्ता.
स्थान: चित्तौड़गढ़ (देवेन्द्र सिंह चुण्डावत)
दिनांक: 19.01.2022 प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नैशनल बैंक

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can bank upon !

विधि/वसूली विभाग, मंडल कार्यालय, उदयपुर
एलआईसी भवन, तीसरा तल, सबसिटी सेन्टर, रेती स्टेण्ड के पास, उदयपुर
फोन नंबर: 0294-2688008/09/22/26, ई-मेल: cs8328@pnb.co.in

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि

अधोहस्ताक्षरकर्ता **देवेन्द्र सिंह चुण्डावत ने पंजाब नैशनल बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 सपठित, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ऋणी **श्री ओम प्रकाश गौड़ पुत्र श्री जटा शंकर एवं श्री सत्य नारायण गौड़ पुत्र श्री जटा शंकर** एवं जमानतदार **श्री जटा शंकर गौड़ पुत्र श्री चम्पालाल गौड़ पर मांग सूचना दिनांक 29.09.2021** पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **दिनांक 31.08.2021 को बकाया राशि रू. 7,45,574.86 (रूपये सात लाख पैंतालीस हजार पांच सौ चौहतर एवं पैसे छियासी मात्र) प्लस दिनांक 01.09.2021 से ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।

ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 19, माह जनवरी, वर्ष 2022** को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।

कर्जदारों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार **दिनांक 31.12.2021 को बकाया राशि रू. 7,64,060.86 (रूपये सात लाख चौंसठ हजार साठ एवं पैसे छियासी मात्र) प्लस दिनांक 01.01.2022 से ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों का पुनर्भुगतान करने के लिए पंजाब नैशनल बैंक, शाखा कार्यालय -मीरा नगर, चित्तौड़गढ़, राजस्थान** के प्रभार के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्री जटा शंकर गौड़ पुत्र श्री चम्पा लाल गौड़ के नाम साम्यिक बंधक आवासीय मकान जो प्लॉट नं. 10, सेक्टर 4, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 3560 वर्ग फीट है। **सीमाएं**- उत्तर: रोड़, दक्षिण: प्लॉटनं. 11, पूर्व: प्लॉट नं. 115, पश्चिम: रोड़

हस्ता.
स्थान: चित्तौड़गढ़ (देवेन्द्र सिंह चुण्डावत)
दिनांक: 19.01.2022 प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नैशनल बैंक

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can bank upon !

विधि/वसूली विभाग, मंडल कार्यालय, उदयपुर
एलआईसी भवन, तीसरा तल, सबसिटी सेन्टर, रेती स्टेण्ड के पास, उदयपुर
फोन नंबर: 0294-2688008/09/22/26, ई-मेल: cs8328@pnb.co.in

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों के लिए)

जबकि

अधोहस्ताक्षरकर्ता **देवेन्द्र सिंह चुण्डावत ने पंजाब नैशनल बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 सपठित, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ऋणी **मैसर्स शेरावत मिनरल्स एलएलपी** जरिये पार्टनर्स **श्री किशन लाल अहीर पुत्र श्री माधव लाल अहीर, श्री हरि सिंह देवंदा पुत्र श्री मोहन लाल एवं श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री हरि राम** पर मांग सूचना **दिनांक 25.06.2021** पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **दिनांक 31.03.2021 को बकाया राशि रू. 21,75,426.68 (रूपये इकीस लाख पचहतर हजार चार सौ छब्बीस एवं पैसे अड़सठ मात्र) प्लस दिनांक 01.04.2021 से ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।

ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 19, माह जनवरी, वर्ष 2022** को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्तियों को कब्जे में ले लिया है।

कर्जदारों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार **दिनांक 31.03.2021 को बकाया राशि रू. 21,75,426.68 (रूपये इकीस लाख पचहतर हजार चार सौ छब्बीस एवं पैसे अड़सठ मात्र) प्लस दिनांक 01.04.2021 से ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए **पंजाब नैशनल बैंक, कपासन शाखा, जिला-चित्तौड़गढ़, राजस्थान** के प्रभार के अधीन होगा।

अचल सम्पत्तियों का वर्णन

सम्पत्ति 1- सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि मैसर्स शेरावत मिनरल्स एलएलपी के नाम साम्यिक बंधक औद्योगिक सम्पत्ति जो खसरा नं. 1473/499, गांव कोलपुरा, ग्राम पंचायत- रोलिया, तहसील कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़, राजस्थान पर स्थित है। **सीमाएं**- उत्तर: आराजी नं. 1436/500, दक्षिण: आराजी नं. 1436/485, पूर्व: आराजी नं. 1436/499 का शेष भाग, पश्चिम: रोड़ 20 मीटर

सम्पत्ति 2- सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्री किशन लाल अहीर पुत्र श्री माधव लाल अहीर के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो गांव कोलपुरा, ग्राम पंचायत - रोलिया, तहसील कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 972 वर्ग फीट है। **सीमाएं**- उत्तर: श्री भैरू लाल जी का प्लॉट, दक्षिण: श्री रतनलाल जी का मकान, पूर्व: रोड़, पश्चिम: श्री किशन सिंह जी की कृषि भूमि

हस्ता.
स्थान: चित्तौड़गढ़ (देवेन्द्र सिंह चुण्डावत)
दिनांक: 19.01.2022 प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नैशनल बैंक

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001
दूरभाष सं.0294-2421255,2420013,
Helpline no-0294-2426262,
वेबसाइट- www.mcudaipur.org.com

क्रमांक:-69-क/2021-22/2326 दिनांक:-17-1-22

आम-सूचना

प्रार्थी श्री नाना लाल पालीवाल पुत्र श्री लेहरी लाल , श्रीमती शोभा देवी पत्नी श्री नाना लाल पालीवाल निवासी 26, कोठारियों का मौहल्ला, उत्तरी आयड़, उदयपुर ने नीचे वर्णित भूमि के अपने अधिकार आवासीय/वाणिज्यिक/मिश्रित के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगर निगम के पक्ष में अभ्यर्थित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/ गली का नाम	पड़ौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड संख्या	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लंबाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
उदयपुर	शहरी	पूर्व-मकान श्री जितेन्द्र बाबेल पश्चिम-मकान श्री हीरालाल चौधरी उत्तर-रोड दक्षिण-मकान श्री महावीर बाबेल	1025'.6 वर्गफीट

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है । यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम , 2009 की धारा 69-क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजुरी के सम्बन्ध में कोई आक्षेप है तो वह यह नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियम समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा की किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक ..... को जारी की गई।

आयुक्त, नगर नि